Conversion of Land from Leasehold to Freehold

907. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proposed high rates of conversion from leasehold to freehold by DDA has been objected to by the flat owners and Welfare Associations;

(b) whether it is also a fact that common Cause Appex Association and other such voluntary organisations have challenged the same in the Courts of law;

(c) if so, what is the reaction of Government thereto; and

(d) the number of applications for conversions received so far and the number of them disposed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Modifications in the scheme wherever possible have been made and intimated to the Lease Administering Authorities. However, a proposal to, *inter-alia*, make the conversion optional in the case of ready built tenements/flats and built-up plots of less than 150 sq. mtrs. is under consideration of the Government.

(d) As reported by DDA 2,400 applications have been received and in 20 cases conveyance deeds have been issued. Similarly, L&DO has received 655 applications as on 25-11-92 and conveyance deeds have been issued in 65 cases.

Availability of Houses to All

908. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to make available houses to all people; and

(b) if so, what are the details thereof

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) The National Housing Policy placed in Parliament envisages reduction of houselessness in the country by creating an enabling environment, removal of constraints and by developing efficient and equitable system for the delivery of housing inputs. Housing being a State subject it is for the State Government to formulate suitable schemes based on the National Housing Policy for expanding the supply of housing and services.

दिल्ली में खुले "मेन होलों" के कारण हुई मौतें

909. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली में वर्ष 1990, 1991 और जनवरी–अक्तूबर, 1992 के दौरान खुले "मेन होलों" में गिरने के कारण मरे बच्चों की उनके मरने के स्थानों और तिथियों सहित संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने 1990, 1991 और 1992 के वर्षों में दिल्ली नगर नि को इस संबंध में कोई हिदायत जारी की थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उस हिदायत के अनुपालन की भी जांच की गई है, यदि हां, तो कब और किसके द्वारा की गई है,

(ग) "मेन होलों" के रख-रखाव और उन्हें ढक्कनों से ढक कर रखने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का नाम क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित घटनाओं के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भविष्य में खुले "मेन होलों" में होने वाली मौत की घटनाओं को रोकने के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	खुले मैनहोलों में गिरने से मरे बच्चों की संख्या
1990 के दौरान	शून्य
1991 के दौरान	2
1992 के दौरान (जनवरी से अक्तूबर)	1

स्थान	तारीख	संख्या
पुनर्वास कालोनी, ख्याला	25.7.91	1
मानसरोवर गार्डन	13.11.91	1
मंगोलपुरी	25.10.92	1

(ख) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने मैनहोलों के आवधिक सर्वेक्षण के महत्व और मैनहोलों के गायब हो गए ढक्कनों को पुनः शीघ्रता से लगाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में वर्ष 1991 तथा 1992 में हुई कई बैठकों में दिल्ली नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों पर बल दिया है। 7-10-92 को दिल्ली के उप-राज्यपाल ने भी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक को सभी खुले नालों का शीघ्र निरीक्षण करने और रिपोर्ट भेजने तथा त्रुटियों को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। उनको मैनहोल के सभी गायब ढक्कनों का सर्वेक्षण करने और उपचारी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए थे। निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम की सूचना प्राप्त करने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के लिए भी कहा गया था। निर्देशों के अनुपालन की दिल्ली प्रशासन द्वारा आवधिक पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली कैन्टोनमैन्ट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मैनहोलों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि इन घटनाओं में से प्रत्येक की जांच की गई है और दोषी पाये गए पालिका कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। 26-7-91 को हुई घटना के मामले में प्रारम्भिक जांच के पश्चात चूक के लिए एक कनिष्ठ इंजीनियर (सी), एक सहायक सफाई निरीक्षक तथा एक सफाई कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया गया था। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की जा रही है। इसके अलावा, उपर्युक्त स्टाफ में से एक सहायक सफाई निरीक्षक तथा एक सफाई कर्मचारी को निलम्बित किया गया था। 13-11-91 के मामले में प्रारम्भिक जांच के पश्चात यह पाया गया था कि प्रभारी फील्ड स्टाफ की कोई गलती नहीं थी। 25-10-92 की घटना के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अगली कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी।

Unauthorised Colonies in Delhi

910. SHRI V. NARAYANASAMY :
SHRI JAGMOHAN :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have identified the unauthorised colonies and constructions in Delhi; and

(b) if so, what steps Government are taking in this regard ?